ए. {2015] 1 S.C.RI 152

कार्यकारी अधिकारी, आपका कोई भी नगर पंचायत

वी. ओ.

बी. जी. अरुमुगम (डी) एलआरएस द्वारा।

.. (सिविल अपील सं। 2014 का 8577) 19 जनवरी, 2015।

[एम. वाई. ¥. इक्बाल और क्रियन जोसेफ, जे. जे.]

सी.

डी.

अपीलः दायर करने में देरी-दंड-अपील दायर करने में 1373 दिनों की देरी-पहले प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमे की भूमि की घोषणा और कब्जे के लिए मुकदमा-निचली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया-पहले प्रतिवादी ने अपील दायर की जिसकी अनुमति दी गई थी-इसके बाद अपीलकर्ता द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए-4 साल बाद, अपीलकर्ता ने फैसले और डिक्री की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया-इसके बाद, देरी की माफी के लिए आवेदन के साथ दायर दूसरी अपील-उच्च न्यायालय ने देरी को माफ करने से इनकार कर दिया-अपील पर कहा गयाः देरी, सरकारी अधिकारियों या लोक सेवकों की ओर से देरी करके न्याय को हराने का प्रयास होने पर कितनी भी बड़ी राशि को माफ किया जा सकता है।

ई.

अपील की अनुमति देते हुए और मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित करते हुए, न्यायालय ने

एफ.

हेल्डः 1. देरी केवल संबंधित समय पर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी की ओर से जानबुझकर चूक के कारण हुई। यदि अदालत को विश्वास हो जाता है कि सरकारी अधिकारियों या लोक सेवकों की ओर से न्याय में देरी करके न्याय को विफल करने का प्रयास किया गया था, तो अदालत को, व्यापक सार्वजनिक हित को देखते हए, ऐसी स्थितियों में नरमी बरतनी चाहिए, देरी को माफ करना चाहिए, चाहे देरी किंतनी भी बडी हो, और मामले को गुण-दोष के आधार पर तय करना चाहिए। दूसरी अपील दायर करने में 1373 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है। [पैरा 3,4 और 5]

[154-ई-एफ, जी-एच; 155-ए]

152

एच.

जी.

ए. कार्यकारी अधिकारी, आपका शहर पंचायत 153

v. जी अरुमुगम (डी) एल. आर. एस. द्वारा।

नागालैंड राज्य बनाम लिपोक आओ और अन्य। (2005) 3 एससीसी

बी.

752: 2005 (3) एस. सी. आर. 108-पर निर्भर था। मामला कानून संदर्भः 2005 (3) एस. सी. आर. 108 पैरा 5 पर निर्भर था।

सिविल अपील न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

सी.

2014 का 8577।

मद्रास में उच्च न्यायालय के C.M.P के निर्णय और आदेश दिनांक 17.04.2006 से। नहीं। 2006 का 4874 S.A में. एस. आर. सं. 2006 का 876।

डी.

के साथ

एलए। नहीं। 2014 का 2

ई. अपीलार्थी के लिए आर. नेदुमारन।

द्वारा किया गया।

V.NI सुब्रमण्यम, रेवती राघवन उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एफ.

जी.

कुरियन, जे। 1. अपीलार्थी उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश से व्यथित है, जिसमें A.S में दिनांकित 14.11.2000 के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में 1373 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया गया है। 1999 का 108 अधीनस्थ न्यायाधीश, भवानी, इरोड जिला, तिमलनाडु की फाइल पर। इसमें पहले उत्तरदाता ने O.S दाखिल किया। नहीं। वाद भूमि की घोषणा और कब्जे के लिए अतिरिक्त जिला मुन्सिफ न्यायालय, भवानी, तिमलनाडु की फाइल पर 1992 का 267। मुकदमे में प्रतिवादी ग्राम पंचायत ने तर्क दिया कि मुकदमे की जमीन नाथम पोरमबोके है और स्वामित्व का अधिकार और रिकॉर्ड पंचायत के नाम पर है। निचली अदालत ने 11.07.1997 के फैसले से मुकदमे को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता-प्रथम प्रतिवादी ने इसमें पहली अपील A.S के रूप में दायर की। 1999 का 108. अपील की अनुमित दी गई और मुकदमे का फैसला दिनांक 14.11.2000 के फैसले

एच.

154 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट = [2015] 1 S.C.RI ₹.

2. ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत के कार्यकारी अधिकारी ने संबंधित समय पर कोई कदम नहीं उठाया। जब कार्यकारी अधिकारी, दूसरी अपील दायर करने के समय, कार्यवाही के बारे में पता चला जब निष्कासन के लिए कदम उठाए गए थे, तो उन्होंने त्रंत कदम उठाए और निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रति के लिए 26.10.2004 पर एक आवेदन दायर किया। उन्हें 15.12.2004 पर जारी किया गया था, और आवश्यक मंजरी प्राप्त करने और अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को परा करने के बाद. देरी की माफी के लिए आवेदन के साथ 05.01.2005 पर दूसरी अपील दायर की गई थी। विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने देरी को माफ करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय के अनुसार, देरी को ठीक से समझाया नहीं गया है। विवादित आदेश में यह भी देखा गया है कि हालांकि प्रमाणित प्रतियां 15.12.2004 पर जारी की गई थीं, दूसरी अपील केवल 05.01.2005 पर दायर की गई है और उस देरी के लिए भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

डी. 3. 12.12.2006 पर अपीलार्थी की ओर से दायर अतिरिक्त हलफनामे में, इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया है कि श्री के. जी. रामासामी, जो संबंधित समय में पंचायत के कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, को सेवा w.e.f से निलंबित कर दिया गया था। 12.07.2002 भ्रष्टाचार के आरोपों पर। चाहे जो भी हो, अभिलेखों को देखने और दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि ई. देरी केवल संबंधित समय पर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी की ओर से जानबुझकर चूक के कारण हुई है। इस प्रक्रिया में और कौन शामिल हैं, यह स्पष्ट नहीं है।

4. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा नागालैंड राज्य बनाम लिपोक आओ और अन्य में अभिनिर्धारित किया गया है, न्यायालय को विलंब की क्षमा के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय हमेशा न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यदि अदालत को एफ. विश्वास हो जाता है कि सरकारी अधिकारियों या लोक सेवकों की ओर से न्याय में देरी करके न्याय को विफल करने का प्रयास किया गया था, तो अदालत को. व्यापक सार्वजनिक हित को देखते हुए, ऐसी स्थितियों में नरमी बरतनी चाहिए, देरी को माफ करना चाहिए, चाहे देरी किंतनी भी बडी हो, और मामले को गुण-दोष के आधार पर जी. तय करना चाहिए।

1. (2005) 3 एससीसी 752।

एच.

बी.

सी.

- ए. कार्यकारी अधिकारी, आपका शहर पंचायत 155 येन। जी अरुमुगम (डी) एलआरएस द्वारा। [कुरियन जोसेफ, जे।]
- 5. तदनुसार, हम विवादित आदेश को दरिकनार करते हैं और दूसरी अपील दायर ; बी करने में 1373 दिनों की देरी को माफ करते हैं। कानून के अनुसार आगे के विचार के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेजा जाता है। अंतर्वर्ती आवेदन सं। 2014 का 2 तदनुसार निपटाया जाता है।
  - 6. ऊपर की तरह अपील की अनुमित है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है। ..

देविका गुजराल की अपील मंजूर की गई और उच्च न्यायालय को प्रेषित की गई